भारत सरकार

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3735

दिनांक 9 अगस्त, 2016 के लिए प्रश्न

विषय: गहरे समुद्र में मात्स्यिकी

3735. प्रो॰ सौगत रायः

क्या कृषि और कृषक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पर्याप्त तकनीक एवं गहरे समुद्र में मात्स्यिकी हेतु उचित जहाजों के अभाव में देश के मछुआरों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सरकार के ध्यान में आया है कि गहरे समुद्र में मात्स्यिकी हेतु खरीदे गए जहाज गत कई वर्षों से बेकार पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस क्षेत्र में विदेशी सहयोग हेतु सरकार द्वारा थोपी गई कतिपय शर्तों के कारण क्या देश में गहरे समुद्र में मात्स्यिकी बिल्कुल रुक सी गई है तथा यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधरात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सुदर्शन भगत)

(क) और (ख) भारत में समुद्री मत्स्य लघु पैमाने का रहा है तथा अधिकांशत: निकटवर्ती तटों या तटवर्ती जिलों तक ही सीमित रहा है। अत: हमारे देश में गहरे समुद्र में मत्स्यन करने के लिए यात्राएं करने में समर्थ संसाधन विशिष्ट जलयान सामान्यत: तैयार नहीं किए जा रहे। इस सेक्टर में इस कमी को देखते हुए भारतीय उद्यमियों को भारतीय अनन्य एकमुश्त खरीद, आस्थगित अदायगी आधार या कम से कम 51% भारतीय इक्विटी के साथ संयुक्त उद्यम पर अन्य देशों से प्रौद्योगिकी रूप से उन्नत संसाधन विशिष्ट गहरे समुद्र में मत्स्यन जलयान (डीएसएफवीएस) खरीदने की अनुमति दी गई है। डीएसएफवीएस को निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमति पत्र प्राप्त करने के पश्चात् 12 समुद्री मील के प्रादेशिक जल से परे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में संचालन की अनुमति है।

(ग) से (ड.) एलओपी धारक डीएसएफवीएस संचालकों को संसाधन-विशिष्ट मत्स्यन तथा प्रौद्योगिकी रूप से उन्नत डीएसएफवीएस के लिए विदेशी कर्मीदल को तैनात करने की अनुमति है। तथापि, रोजगार वीजा संबंधी दिशानिर्देशों में परिवर्तन के कारण 2011 से डीएसएफवीएस पर कार्य कर रहे विदेशी कर्मीदल संबंधी अनुमतियां तथा ईईजेड में एलओपी धारक डीएसएफवीएस का संचालन प्रभावित हुआ है। सुधारात्मक उपाय के रूप में ईईजेड में डीएसवाईवी के संचालन के लिए व्यापक समुद्री मत्स्यन नीति, 2004 तथा दिशानिर्देशों की समीक्षा तथा समुद्री मात्स्यिकी संबंधी राष्ट्रीय नीति का प्रारूप (एनपीएमएफ) तैयार करने के लिए 28 जुलाई, 2015 को एक समिति गठित की गई है। एनपीएमएफ का प्रारूप अभी हाल ही में उक्त समिति ने प्रस्तुत किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में गहरे समुद्र के मात्स्यिकी सेक्टर को विकसित करने की परिकल्पना की भी व्यवस्था है।